

न्यायालय

जुज अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना २०१२००)

संख्या :-01 / 192 / 2006 ऑनलाईन नम्बर-2006 / 00004 प्रवेश तिथि-03 / 11 / 2006

- दुलाराम पुत्र श्री भौरेलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर) मृतक
- 1/1. लक्ष्मा देवी स्व. पुत्र श्री भौरेलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 2. मन्नाराम पुत्र श्री भौरेलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 3. दामोदार पुत्र श्री भौरेलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 4. चेतन नवीरा भौरेलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 5. घीसी बेचा भौरेलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 6. कालूराम पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 7. बंदी प्रसाद पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 - 6/1. रेवडी पत्नी स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/2. गजानन्द पुत्र स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/3. दिनोद कुमार पुत्र स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/4. हनुमान सहाय पुत्र स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/5. छोटी पुत्री स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/6. लाडा पुत्री स्व. बंदी प्रसाद जातियान माली निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 8. तेजाराम पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 9. नन्दकिशोर पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 10. तुलसी बेवा जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 11. कजोड पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 12. लक्ष्मण पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 13. भौरी बेवा कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)

.....वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री भगवान सहाय, जाति मीना निवासी टोडी का वास, तहसील टहला जिला अलवर।
2. चौथमल पुत्र श्री भगवान सहाय, जाति मीना निवासी टोडी का वास, तहसील टहला जिला अलवर
3. रामपाल पुत्र श्री गोविन्दा, जाति मीना निवासी टोडी का वास, तहसील टहला जिला अलवर
 - 3/1. रामप्यारी पत्नी श्री रामपाल
 - 3/2. सुखराम पत्नी स्व. श्री रामपाल
 - 3/3. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री रामपाल
 - 3/4. रमेश पुत्र स्व. श्री रामपाल मृतक
 - 3/4/1. सोना देवी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/2. आशीष पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/3. पूजा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/4. आरती पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/5. राधा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द आयु 6 वर्ष नाबालिग बसरपरस्त माता खुद सोना देवी पत्नी स्व० श्री रमेश चन्द जाति मीना निवासीयान ग्राम टोडी वास, तहसील टहला जिला अलवर
4. हनुमान पुत्र फैली राम।
5. बंदी प्रसाद पुत्र फैली राम।
6. कालूराम पुत्र फैली राम।
7. प्रहलाद पुत्र फैली राम निवासी टोडी का वास तहसील टहला जिला अलवर।



.....प्रतिवादीगण

दावा रथाई निपेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा -188
उपरिथत:-श्री किशनलाल वर्मा एड०-वादी
श्री सुरेन्द्र कुमार माथूर एड०-प्रतिवादी

अ.खण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

आज यह पत्रावली अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि हाजा न्यायालय में अनुवानी प्रकरण रामजीलाल बनाम दूलाराम मुकदमा संख्या 01/132/2015 पूर्व वाद संख्या 01/111/2006 व अनुवानी प्रकरण दूलाराम बनाम रामजीलाल वगैरे मुकदमा संख्या 01/192/2006 हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 05.10.2011 के अनुसार कन्सोलीटेड/संलग्न की हुई है। वादीगण द्वारा एक दाया इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 8 बीघा 12 बीरवा वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ़ हाल तहसील टहला में स्थित है जिसे वादी संख्या 3 रामपाल, वादी 1 व 2 के पिता भगवान सहाय व वादीगण 4 लगायत 7 के पिता फैली राम जो सगे तीनों भाई है जो उपरोक्त आराजीयात को गत करीब 45-50 वर्ष से काबिज होकर काश्त करते रहे है। भगवान सहाय व फैलीराम का स्वर्गवास हो गया है। जिसके मरने के बाद वादीगण संख्या 1 व 2 तथा वादीगण संख्या 4 लगायत 7 बहैसियत वारिस उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते है और उपरोक्त आराजीयात में ही वादीगण के रिहायशी मकानात बने हुये है जिन मकानों में वादीगण परिवार सहित निवास करते है तथा खसरा गिरदावरी संख्या 2030 में से वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता भगवान सहाय वादी संख्या 3 व वादीगण 4 लगायत 7 के पिता फैलीराम को साठ देह शिकमी 12 साल अकित किया हुआ है।

2. यह है कि ग्राम टोडी का बास का बंदोबस्त संख्या 2046 में सम्पन्न हो गया और वक्त बंदोबस्त वादीगण संख्या 1 व 2 का पिता भगवान सहाय वादी संख्या 3 रामपाल वादीगण 4 लगायत 7 का पिता फैलीराम को उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते हुए 28 वर्ष हो चुके थे इस कारण वक्त बंदोबस्त कब्जा उक्त आराजी 12 साल से अधिक हो गया था। कब्जा मुखालपाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर भगवान सहाय, रामपाल व फैलीराम को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे इस कारण कर्मचारी यान बन्दोबस्त को सम्वत 2046 में भगवान सहाय, रामपाल व फैलीराम को उपरोक्त आराजी का खातेदार दर्ज करना चाहिए था परन्तु बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियान उपरोक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 81/0.08, 82/0.05, 83/0.38, 84/0.35 85/0.20, 86/0.03, 87/0.01, 88/0.09, 89/0.20, 91/199/0.25 कुल कित्ता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. कायम किये गये है और प्रतिवादीगण ने कर्मचारियान बंदोबस्त से मिल्लत करके उक्त आराजीयात अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया जो वर्तमान में प्रतिवादी के नाम अंकित है उस प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज को हजफ किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 3 को 1/3 हिस्सा का वो वादीगण संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उपरोक्त आराजीयात का रकबा साबिक रिकार्ड के मुताबिक हाल रिकार्ड में पूरा दर्ज नहीं किया है इस कारण उपरोक्त आराजीयात कुल कित्ता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. के स्थान पर 2.16 हैक्ट. कायत किया जाकर वादीगण को पूरा 2.16 हैक्ट. भूमि का खातेदार घोषित किया जाना का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है—साबिक आराजी खसरा संख्या 6 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर पर कभी भी वादीगण संख्या 3 रामपाल, वादीगण संख्या 1 व 2 का



अखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

पिता भगवानसहाय व वादीगण संख्या 4 लगायत 7 के पिता फैलीराम का कब्जा नहीं रहा है। और न भगवानसहाय व फैलीराम के स्वर्गवास के पश्चात वादी संख्या 1 व 2, 4 लगायत 7 इस आराजी पर काबिज ही हुये और न उनके द्वारा काश्त ही की जाती है। इस कारण वादीगण का यह कथन कि वादीगण वो उनके पिता भगवान सहाय फैलीराम द्वारा मृत 45-50 वर्षों से विवादित आराजी पर काश्त कि जाती है। जिसे प्रतिवादीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही बहैसियत खातेदार है। गिरदावरी सम्वत 2030 में वादीगण के पिता भगवानसहाय, फैलीराम व वादी संख्या 3 समपाल का नाम यदि कोई दर्ज इन्द्राज हुआ है तो वह गलत है। इससे विवादित आराजी पर वादीगण को कोई खातेदारी का अधिकार प्रोदभूत नहीं होता है। पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रतिवादीगण आज दिनांक तक खातेदारी के अधिकार प्राप्त है। वादीगण को गलत इन्द्राज के आधार पर कोई खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। बन्दोबस्त सम्वत 2046 में बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादीगण के नाम सही इन्द्राज किया हुआ है। जो मुताबिक दस्तावेज सही है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर हमेशा से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। और मौके पर काबिज है। कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। अन्त में दावा वादी खारीज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. तनकीयात कायम करके सुनाई गई। तनकीयात के बिन्दु निम्न प्रकार है-

1. आया वादी हाल आराजी खसरा संख्या नम्बर 81/0.08, 82/0.05, 83/0.38, 84/0.35 85/0.20, 86/0.03, 87/0.01, 88/0.09, 89/0.20, 91/199/0.25 कुल कित्ता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ खातेदारी में जो प्रतिवादी 1 लगात 13 का नाम अंकित है उस प्रति के नाम हजफ कराने व वादी 1 व 2 को 1/3 हिस्सा, वादी 3 को 1/3 हिस्सा, 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित कराने तथा रकबा 1.64 के स्थान पर 2.16 हैक्ट. कायम करने का अधिकारी है।

..... वादी

2. आया वादी विवादित आराजी उक्त वर्णित के लिए प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

.....वादी

3. अन्य दादरसी।

वादी की ओर दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिन पर प्रदर्श निम्न प्रकार है-

- गिरधावरी सम्वत 2031-33 प्रदर्श 1
- जमाबन्दी सम्वत 2059 प्रदर्श 2
- नक्शा ट्रेस संवत 2041 प्रदर्श 3
- नक्शा संवत 2042 प्रदर्श 4
- मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5



6. इसी प्रकार वादी ने गवाह साक्ष्य के रूप में बाला सहाय, रामोतार, गोविन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य गवाह लेखबद्ध कराये गये जो शामिल मिसल है।

7. इसी प्रकार प्रतिवादी ने गवाह साक्ष्य के रूप में नन्दकिशोर पुत्र जयराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य गवाह के बयान लेखबद्ध कराये गये जो शामिल मिसल है।

अखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

में बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान-ए-बहस विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र में तथ्यों को दौहराया मात्र और अन्त में दावा वादी स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उसे भी दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में बहस वकील प्रतिवादी की सुनी गई। दौरान-ए-बहस विद्वान वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में 1 को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया साबिक आराजी खसरा संख्या 6 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा वाके टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर पर कभी भी वादीगण संख्या 3 रामपाल, वादीगण संख्या 1 2 का पिता भगवानसहाय वो वादीगण संख्या 4 लगायत 7 के पिता फैलीराम का कब्जा नहीं रहा है। न भगवानसहाय व फैलीराम के स्वर्गवास के पश्चात वादी संख्या 1 व 2, 4 लगायत 7 इस आराजी पर काबिज ही हुये और न उनके द्वारा काश्त ही की जाती है। इस कारण वादीगण का यह कथन कि वादीगण 1 उनके पिता भगवान सहाय फैलीराम द्वारा गत 45-50 वर्षों से विवादित आराजी पर काश्त कि जाती है। जैसे प्रतिवादीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही बहैसियत खातेदार है। गिरदावरी सम्वत् 2030 में वादीगण के पिता भगवानसहाय, फैलीराम व वादी संख्या 3 रामपाल का नाम यदि कोई दर्ज इन्द्राज हुआ तो विवादित आराजी पर वादीगण को कोई खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जबकि प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आज दिनांक तक खातेदारी के अधिकार प्राप्त है। वादीगण को गलत इन्द्राज के आधार पर कोई खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादीगण के नाम सही इन्द्राज किया हुआ है। जो मुताबिक दस्तावेज सही है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर हमेशा से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। और मौके पर काबिज है। कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। सहवन से इन्द्राज हुआ है जो गलत है। उक्त विवादित आराजी मुताबिक दस्तावेजों के अनुसार आज दिनांक तक प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार काश्तकर है। अन्त में दावा वादी खारीज किये जाने का निवेदन किया गया।

10. प्रकरण में तत्पश्चात् बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा कायम किये गये खसरा संख्यान् का विवरण इस प्रकार है-

साबिक खसरा संख्य	साबिक रकबा	हाल खसरा संख्या	हाल रकबा
6 मिन	8 बिघा 13 बिस्वा		
6 मिन शामिल नम्बर 81		81	0.08
6 मिन शामिल नम्बर 81		82	0.05
6 मिन शामिल नम्बर 81		83	0.38
6 मिन शामिल नम्बर 81		84	0.35
6 मिन शामिल नम्बर 81		85	0.20
6 मिन शामिल नम्बर 81		86	0.03
6 मिन शामिल नम्बर 81		87	0.01.
6 मिन शामिल नम्बर 81		88	0.09
6 मिन शामिल नम्बर 81		89	0.20
6 मिन शामिल नम्बर 81		91 / 199	0.25

11. प्रकरण में तत्पश्चात् बंदोबस्त सम्वत् 2018 द्वारा कायम किये गये खसरा संख्यान् का विवरण इस प्रकार है-

साबिक खसरा संख्य	साबिक रकबा	हाल खसरा संख्या	हाल रकबा
45/60	8 बिघा 13 बिस्वा	6	8 बिघा 13 बिस्वा

अध्यापक अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

तनकीवार निष्कर्ष इस प्रकार है कि तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर था।
ख्या 01 इस प्रकार है कि आया वादी हाल आया वादी हाल आराजी खसरा संख्या नम्बर 81/0.
0.05, 83/0.38, 84/0.35 85/0.20, 86/0.03, 87/0.01, 88/0.09, 89/0.20, 91/199/0.
कुल कित्ता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला
अलवर खातेदारी में जो प्रतिवादी 1 लगात 13 का नाम अंकित है उस प्रति के नाम हजफ कराने व
व 2 को 1/3 हिस्सा, वादी 3 को 1/3 हिस्सा, 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्सा का खातेदार
कराने तथा रकबा 1.64 के स्थान पर 2.16 हैक्ट. कायम करने का अधिकारी है। जो पत्रावली में
व दस्तावेजे के आधार पर तनकी संख्या 01 साबित नहीं होती है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के
से स्वीकार किया जाना उचित नहीं होता है।

प्रकार तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी पर था। जो इस प्रकार से है कि आया हाल
आराजी खसरा संख्या नम्बर 81/0.08, 82/0.05, 83/0.38, 84/0.35 85/0.20, 86/0.03, 87/0.01,
88/0.09, 89/0.20, 91/199/0.25 कुल कित्ता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम टोडी का बास तहसील
राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर वर्तमान में प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसलिए
प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का अधिकारी नहीं है।
जैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व बहस वकूलाय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज
के अनुसार पाया गया की मुताबिक दस्तावेजात के अनुसार उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण की
खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। वादीगण के द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में पत्रावली में
प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात के अवलोकन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की खातेदारी
आराजी पर वादीगण को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। इसलिए दावा वादी
खारीज किया जाता है। अतः—

आदेश है कि

दावा वादी बाबत् इन्द्राज मय दुरुस्ती हाल आराजी खसरा संख्या नम्बर 81/0.08,
82/0.05, 83/0.38, 84/0.35 85/0.20, 86/0.03, 87/0.01, 88/0.09, 89/0.20,
91/199/0.25 कुल कित्ता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम टोडी का बास तहसील
राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर मुताबिक दस्तावेज साबित नहीं होन के
कारण दावा वादी अनुवानी प्रकरण रामजीलाल वगै० बनाम दुलाराम वगै० मुकदमा संख्या
01/132/2015 पुर्व वाद संख्या 01/111/2006 को अस्वीकार/खारीज किया जाता
है।

आदेश है कि—

तथा हाजा न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 05.10.2011 के अनुसार एक अन्य प्रकरण
मुकदमा संख्या 01/192/2006 अनुवानी प्रकरण दुलाराम वगै० बनाम रामजीलाल वगै०
को अनुवान प्रकरण रामजीलाल वगै० बनाम दुलाराम वगै० मुकदमा संख्या
01/132/2015 पुर्व वाद संख्या 01/111/2006 के साथ संलग्न/ कन्सोलिटेड किया
हुआ है। अनुवानी प्रकरण दुलाराम वगै० बनाम रामजीलाल वगै०, मुकदमा संख्या
01/192/2006 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा
का वाद है।

अखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर



इसलिए हाल आराजी खसरा संख्या नम्बर 81/0.08, 82/0.05, 83/0.38, 84/0.35
85/0.20, 86/0.03, 87/0.01, 88/0.09, 89/0.20, 91/199/0.25 कुल कित्ता 10
रकबा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ़ वर्तमान तहसील टहला
जिला अलवर को स्वीकार/डिक्री किया जाता है। साथ ही अनुवानी प्रकरण दूलाराम
बनाम रामजीलाल से प्रतिवादीगण (रामजीलाल वगैरे) को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है कि अनुवानी प्रकरण दुलाराम बनाम रामजीलाल वादीगण (दूलाराम
वगैरे) की उक्त खातेदारी आराजी के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार से
व्यवधान उत्पन्न न करें। साथ ही फसल को को लाने ले जाने में व कुल कृषि कार्य में
किसी भी प्रकार से खातेदारो के अधिकारो की कोई रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें।
किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारो में मजाहमत पैदा न करे। इसी अनुसार पर्व
डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।



(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला-अलवर



न्यायालय

खण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना अवर ए.एन.)

संख्या :-01 / 132 / 2015 ऑनलाईन नम्बर-2015 / 01207 प्रवेश तिथि-27.04.2015

1. रामजीलाल पुत्र श्री भगवान सहाय, जाति मीना निवासी टोडी का बास, तहसील टहला जिला अलवर।
2. चौधमल पुत्र श्री भगवान सहाय, जाति मीना निवासी टोडी का बास, तहसील टहला जिला अलवर
3. रामपाल पुत्र श्री गोविन्दा, जाति मीना निवासी टोडी का बास, तहसील टहला जिला अलवर
 - 3/1. रामधारी पत्नी श्री रामपाल
 - 3/2. सुखराम पत्नी स्व. श्री रामपाल
 - 3/3. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री रामपाल
 - 3/4. रमेश पुत्र स्व. श्री रामपाल मृतक
 - 3/4/1. सोना देवी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/2. आशीष पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/3. पूजा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/4. आरती पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/5. राधा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द आयु 6 वर्ष नाबालिग बसरपरस्त माता खुद सोना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द जाति मीना निवासीयान ग्राम टोडी बास, तहसील टहला जिला अलवर

बनाम

.....वादीगण

1. दुलाराम पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर) मृतक
 - 1/1. लक्ष्मा देवी स्व. पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
2. मन्नाराम पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
3. दामोदार पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
4. चेतन नवीरा भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
5. कालूराम पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
6. बद्री प्रसाद पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 - 6/1. रेवडी पत्नी स्व. बद्री प्रसाद
 - 6/2. गजानन्द पुत्र स्व. बद्री प्रसाद
 - 6/3. विनोद कुमार पुत्र स्व. बद्री प्रसाद
 - 6/4. हनुमान सहाय पुत्र स्व. बद्री प्रसाद
 - 6/5. छोटी पुत्री स्व. बद्री प्रसाद
 - 6/6. लाडा पुत्री स्व. बद्री प्रसाद जातियान माली निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
7. तेजाराम पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
8. नन्दकिशोर पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
9. कजोड पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
10. लक्ष्मण पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)

.....प्रतिवादीगण



उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

दावा इस्तकरारहकक राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा -88
उपरिथत:-श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर एड0-वादी
श्री किशन लाल वर्मा एड0-प्रतिवादी

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना २०१२२१११)

संख्या :-01/192/2006 ऑनलाईन नम्बर-2006/00004 प्रवेश तिथि-03/11/2006

1. दुलाराम पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर) मृतक
- 1/1. लक्ष्मा देवी स्व. पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
2. मन्नाराम पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
3. दामोदार पुत्र श्री भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
4. चेतन नवीरा भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
5. घीसी बेचा भौरैलाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
6. कालूराम पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
7. बंदी प्रसाद पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
 - 6/1. रेवडी पत्नी स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/2. गजानन्द पुत्र स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/3. विनोद कुमार पुत्र स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/4. हनुमान सहाय पुत्र स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/5. छोटी पुत्री स्व. बंदी प्रसाद
 - 6/6. लाडा पुत्री स्व. बंदी प्रसाद जातियान माली निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
8. तेजाराम पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
9. नन्दकिशोर पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
10. तुलसी बेवा जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
11. कजोड पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
12. लक्ष्मण पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)
13. भौरी बेवा कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील टहला (अलवर)

.....वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री भगवान सहाय, जाति मीना निवासी टोडी का बास, तहसील टहला जिला अलवर।
2. चौथमल पुत्र श्री भगवान सहाय, जाति मीना निवासी टोडी का बास, तहसील टहला जिला अलवर
3. रामपाल पुत्र श्री गोविन्दा, जाति मीना निवासी टोडी का बास, तहसील टहला जिला अलवर
 - 3/1. रामप्यारी पत्नी श्री रामपाल
 - 3/2. सुखराम पत्नी स्व. श्री रामपाल
 - 3/3. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री रामपाल
 - 3/4. रमेश पुत्र स्व. श्री रामपाल मृतक
 - 3/4/1. सोना देवी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/2. आशीष पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/3. पूजा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/4. आरती पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द
 - 3/4/5. राधा पुत्री स्व. श्री रमेश चन्द आयु 6 वर्ष नाबालिग बसरपरस्त माता खुद सोना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द जाति मीना निवासीयान ग्राम टोडी बास, तहसील टहला जिला अलवर
4. हनुमान पुत्र फैली राम।
5. बंदी प्रसाद पुत्र फैली राम।
6. कालूराम पुत्र फैली राम।
7. प्रहलाद पुत्र फैली राम निवासीयान टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर।



उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

.....प्रतिवादीगण
दावा रथाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा -188
उपस्थित:-श्री किशनलाल वर्मा एडवो-वादी
श्री सुरेन्द्र कुमार माथूर एडवो-प्रतिवादी

रामजीलाल बनाम दुलाराम

दावा वादी बाबत् इन्द्राज मय दुरुरस्ती हाल आराजी खसरा संख्या नम्बर 81/0.08, 82/0.05, 83/0.38, 84/0.35 85/0.20, 86/0.03, 87/0.01, 88/0.09, 89/0.20, 91/199/0.25 कुल किता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर मुताबिक दस्तावेज साबित नही होने के कारण दावा वादी अनुवानी प्रकरण रामजीलाल वगै० बनाम दुलाराम वगै० मुकदमा संख्या 01/132/2015 पुर्व वाद संख्या 01/111/2006 को अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

दिनांक—13.01.2026

पर्चा डिक्री

अनुवानी प्रकरण दूलाराम बनाम रामजीलाल

यह है कि हाजा न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 05.10.2011 के अनुसार एक अन्य प्रकरण मुकदमा संख्या 01/192/2006 अनुवानी प्रकरण दुलाराम वगै० बनाम रामजीलाल वगै० को अनुवान प्रकरण रामजीलाल वगै० बनाम दुलाराम वगै० मुकदमा संख्या 01/132/2015 पुर्व वाद संख्या 01/111/2006 के साथ संलग्न/ कन्सोलिटेड किया हुआ है। अनुवानी प्रकरण दुलाराम वगै० बनाम रामजीलाल वगै०, मुकदमा संख्या 01/192/2006 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है। इसलिए हाल आराजी खसरा संख्या नम्बर 81/0.08, 82/0.05, 83/0.38, 84/0.35 85/0.20, 86/0.03, 87/0.01, 88/0.09, 89/0.20, 91/199/0.25 कुल किता 10 रकबा 1.64 हैक्ट. वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर को स्वीकार/डिक्री किया जाता है। साथ ही अनुवानी प्रकरण दूलाराम बनाम रामजीलाल से प्रतिवादीगण (रामजीलाल वगै०) को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अनुवानी प्रकरण दुलाराम बनाम रामजीलाल वादीगण (दूलाराम वगै०) की उक्त खातेदारी आराजी के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न न करें। साथ ही फसल को को लाने ले जाने में व कुल कृषि कार्य में किसी भी प्रकार से खातेदारो के अधिकारो की कोई रुकावट व मजाहमत पैदा नही करें। किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारो में मजाहमत पैदा न करे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।
पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.01.2026 को तैयार की गई।

(सुश्री सीमा भीन्वा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

